समाचार.प्रकाषनार्थरू.

## दिलीप नगर में नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण संपन्न

रतलाम 4 मार्च । मध्यम व गरीब वर्ग के नागरिकों के मांगलिक एवं सामाजिक कार्यो हेतु दिलीप नगर में विधायक व निगम निधि से निर्मित किये गये नवीन सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रिय नागरिकों के साथ फीता काटकर किया।

इस अवसर लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप ने कहा कि दिलीप नगर व आपसपास के क्षेत्र में निवासरत गरीब व मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपने मांगलिक व सामाजिक कार्यो हेतु मंहगे मांगलिक भवन बुक नहीं करना पड़ेगा अब वे अपने ही क्षेत्र में निर्मित सांस्कृतिक भवन में अपने मांगलिक व अन्य कार्यक्रम पूर्ण कर सकेगें जिससे उन्हे आर्थिक बचत भी होगी। उन्होने कहा कि विधायक व निगम निधि 44ण्21 लाख की लागत से सांस्कृतिक भवन का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है अब इसे सहेजन की जिम्मेदारी क्षेत्रिय नागरिकों की है इस हेतु वे एक कमेटी गठित कर इसकी देखरेख करें।

इस अवसर पर विधायक रतलाम षहर माननीय श्री काष्यप के अलावा सर्वश्री निर्मल कटारियाए अषोक जैन ;लालाद्धए जयवंत कोठारीए निलेष गांधीए कृशण कुमार सोनीए कन्हैयालाल राठौरए हेमन्त राहौरीए रमेष पांचालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए उपयंत्री श्री मनीश तिवारी आदि का स्वागत क्षेत्रिय नागरिकों पुश्प गुच्छ व पुश्पहारों से किया। इस अवसर पर विधायक रतलाम षहर माननीय श्री काष्यप को षाल.श्रीफल भेंटकर व साफा बांधकर सम्मान किया गयां

कार्यक्रम का संचालन श्री हेमन्त राहौरी ने किया व आभार श्री रमेष पांचाल ने माना।

## आयुश्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का होगा घर.घर सर्वे

**रतलाम 4 मार्च । आयुश्मान भारत श्श्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राही जो आयुश्मान कार्ड से वंचित है उनके षत.प्रतिषत कार्ड बनाये जाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए एसडीएम श्री राजेष षुक्लाए उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने विधायक सभागृह में बैठक लेकर घर.घर सर्वे किये जाने के निर्देष दिये।**
**निगम आयुक्त श्री झारिया ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि जिस तरह आप सभी ने कोरोना वैक्सीनेषन का कार्य कर मानव जीवन को बचाया है इसी तरह षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड षत.प्रतिषत बनवाने का कार्य करें क्योकि यह कार्य भी मानव जीवन से जुड़ा है। षत.प्रतिषत कार्ड बनाये जाने हेतु घर.घर सर्वे करें ताकि षेश रहे पात्र हितग्राहियों के कार्ड निःषुल्क बनाये जाकर योजना का लाभ दिया जा सकें।**
**एसडीएम श्री षुक्ला ने कहा कि आयुश्मान कार्ड भारत सरकार की योजना है इस हेतु यह कार्य पुरी निश्ठा व लगन से कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलायें। घर.घर सर्वे हेतु षेश रहे हितग्राहियों की वार्ड वार सूची उपलब्ध कराई जायेगी हितग्राहियों से बीएलओ व आंनवाड़ी कार्यकर्ता संपर्क कर कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर कार्ड बनवाने का कार्य करें।**
**इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए उपयंत्री श्री बीण्एलण चौधरीए श्री मनीश तिवारीए श्री ब्रजेष कुषवाहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री विनय चौहानए वार्ड दरोगाए बीएलओ तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी।**

**लोक अदालत में करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें**
**12 मार्च षनिवार को लोक अदालत का आयोजन**
**बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि**
**रतलाम 04 मार्च । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट**

देने हेतु  12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी।  यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा

**जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।**

**नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री**
**सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क**

**रतलाम 4 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**

**रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेष**

**रतलाम 4 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर के विभिन्न चौराहोए सार्वजनिक स्थलोंए षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेष देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ.स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे**

सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेष दिया जा रहा है।

**भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना**

रतलाम 4 मार्च । नगर में ऐसे भवन निर्माणकर्ता जो कि भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाकर अतिक्रमण करते है उन पर कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही कर सामग्री जब्त की जा रही है जिसके तहत 3 मार्च षुक्रवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसा 04 मार्च षुक्रवार को भरत राठौड़ मंगल मूर्तिए विशणु जादव स्नेह नगर व बीण्एलण मेहता एडव्होकेट स्टेषन रोड पर निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 1000.1000 की राषि का जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई।

**अंकूर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 1295 पौधो का किया रोपण**
**पौधा रोपण के फोटो अंकूर एप पर डाउनलोड किये**

रतलाम 04 मार्च । प्राण वायु हेतु षासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा चार दिवस में 1295 पौधो का रोपण नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में किया जाकर रोपे गये पौधो के फोटो को अंकूर एप पर डाउनलोड किया गया।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि षासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 4 मार्च षुक्रवार को बजरंग नगरए तिरूपति नगरए जिला षिक्षा केन्द्रए बोहरा बाखल सहित अन्य उद्यानों में शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 80 पौधो का रोपण किया गया।

**नगर निगम के विभिन्न करों से 6ण्87 लाख राजस्व प्राप्त हुआ**

**रतलाम 04 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 04 मार्च षुक्रवार को कुल राषि रूपये 6ए87ए962ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।**

**नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 04 मार्च षुक्रवार को संपत्तिकर कार्यालय से 178633ए वसूली दल 230000 कुल 4086333ए जलकर कार्यालय से 108810ए वसूली दल 78030 कुल 186840 दुकान गुमटी किराया कार्यालय 9912ए वसूली दल 56268 कुल 66180ए स्पॉट फाईन 3000ए लायसेंस 9295 इस तरह कुल राषि रूपये 6ए87ए962ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।**

**कचरा व गंदगी करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना**

**सड़क पर गिट्टी गिराने पर टेªक्टर ट्रॉली जब्त**

**ऋतुश्री पान भण्डार 24 घन्टे के लिए सील**

**जुर्माने के रूप में 15ए000ध्. राषि वसूली**

**रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 04 मार्च षुक्रवार को 2 व्यक्तियों पर जुर्माना किया व 1 दुकान 24 घन्टे के लिए सील की गई। इसके अलावा रिजवान खान की टेªक्टर ट्रॉली क्रमांक एमपी 43 . 2353 में अधिक मात्रा में गिट्टी भरकर लाने व पैलेस रोड से नगर निगम तक सड़क पर गिट्टी गिराने पर टेªक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कचरा व गंदगी करने पर सूरजश्री साड़ी सेंटर चौमुखी पुल पर 10000ए नवकार नमकीन गौषाला रोड पर 5000**

**का जुर्माना किया गया इसके अलावा कोर्ट तिराहे पर ऋतुश्री पान भण्डार को 24 घन्टे के लिए सील किया गया।**

**4 मार्च को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा**

**रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 मार्च षुक्रवार को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।**

**04 मार्च षुक्रवार को डम्पर से 32445ए टेª क्टर से 22840ए मैजिक सूखा कचरा 32110ए मैजिक गीला कचरा 14560 किलो इस तरह कुल 101955 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।**

**12 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा**

**दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन**

**बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त**

**रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 6 व दोपहर की षिफ्ट में 6 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।**

04 मार्च षुक्रवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः  झोन क्रमांक 1 में बरखा पिता सुरेषए अजय पिता विनोदए राजुबाई पति अर्जूनए झोन क्रमांक 2 में सोमदीप पिता सुदेषए झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र पिता मनोहरए झोन क्रमांक 4 में अजय पिता रामलालए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में मनोरमाबाई पति जगदीषए सुनिताबाई पति संजयए रवि पिता संजयए झोन क्रमांक 4 में रमेष पिता बाबुलालए आनन्द पिता भागीरथ व राधाबाई पति ईष्वर इस तरह 12 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

## 100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

**रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।**

**नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।**

**ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें**

**रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**

**रतलाम 04 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जा ा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेª षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

**3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**
**स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित**
**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 04 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205् हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

**पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।**

**अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही**
**15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल**

**रतलाम 04 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।**
**नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।**

**नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**
**रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल**

**डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्‌य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।**

## गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

**रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्‌ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।**

**प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।**

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्04ण्03ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्**